मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 259 / 2024

रमेश पुत्र लीलूराम जाति नायक साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. लीलूराम पुत्र मुन्शीराम जाति नायक साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. प्रियंका पुत्री लीलूराम पत्नी राकेश कुमार जाति नायक साकिन मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. पिंकी पुत्री लीलूराम पत्नी सुनील जाति नायक साकिन 3 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. कौशल्या पुत्री लीलूराम पत्नी औमप्रकाश जाति नायक साकिन सिहागावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. भागवन्ती पुत्री लीलूराम जाति नायक साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 5/8/25

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

वादी को चक 29 एम.ओ.डी.बी के खाता [illegible] 2/141 के प.नं. 23/255 (45) किला नं. 8, 9, 10, 13, 14 की कुल 1 [illegible] नहरी भूमि का काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:45 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 5/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:45 IST
Reason: SelfAttested